न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 74/2023
जी0सी0एम0एस0 नं0 –2022/263

श्रीमती बनारसी देवी उम्र 74 साल पुत्री स्व0 लादूराम पत्नी मोतीलाल जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।राज0।

प्रार्थीया,

बनाम

1. मंगलचंद पुत्र लादूराम
2. श्रीराम पुत्र स्व0 रामदेव
3. श्रीमती मुन्नी पुत्री स्व0 रामदेव पत्नी सुरेश
   समस्त जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम भोजा की ढाणी तह0 दांतारामगढ,सीकर।
4. श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 रामदेव पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण नि0 259 शिवनगर मुरलीपुरा फाटक,जयपुर। राज0।
5. श्रीमती भगवती पुत्री स्व0 रामदेव पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण नि0 टी–3–सी संतनगर रानी बाग, दिल्ली।
6. सुप्यार देवी पत्नी स्व0 रामवतार
7. दिनेश शर्मा पुत्र रामवतार
8. बबीता कुमारी पुत्री रामवतार
   समस्त जाति ब्राहम्णनि0 ग्राम भोजा की ढाणी तह0 दांतारामगढ,सीकर।
9. बीरबल पुत्र बोदूराम जाति जाट नि0 ग्राम गौरियां तहसील दांतारामगढ़,सीकर।
10. उप पंजीयक, पलसाना तह0 दांतारामगढ ।
11. भू धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री राजेश माथुर, वकील प्रार्थीया की ओर से।
2. ,, प्रभातीलाल अप्रार्थी सं0 6,7,8,9 की ओर से।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :: 29.01.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भोजा की ढाणी तहसील दांतारामगढ़,सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 54 रकबा 1.56 है0 व ख0नं0 56 रकबा 4.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.62 है0 अवस्थित है। उक्त ख0नं0 के पुराने ख0नं0 20 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा थे। ग्राम भोजा की ढाणी में ही अन्य ख0नं0 116 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 119 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 120 रकबा 0.01 है0

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

ख0नं0 85 रकबा 1.86 है0 ख0नं0 86 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 87 रकबा 2.59 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.59 है0 अवस्थित है। उक्त खसरा नंबर में से ख0नं0 85, 86 व 87 के पुराने ख0नं0 66 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा थे एंव ख0नं0 116, 119 व 120 के पुराने ख0नं0 47 रकबा 10 बिस्वा थे। प्रार्थना–पत्र की मद सं0 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के पूर्वज रामप्रताप जी के कब्जे अधिकार की रही है। वादग्रस्त भूमि मौके पर एंव राजस्व रिकार्ड में अविभाजित है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की वंशावली मद सं0 4 अनुसार है। उक्त भूमियों की खातेदारी राजकीय कर्मचारियों की गलती से रामप्रताप जी के पुत्र हरनाथ जी के खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा लादूराम जी के दर्ज नहीं हुई थी, जबकि लादूराम जी के भी विरासत खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। इस संबंध में प्रार्थीया के भाई रामदेव व मंगलचंद ने न्यायालय हाजा सीकर में मु0नं0 67/1975 बउनवानी रामदेव आदि बनाम जगदी श ा आदि पेश ा किया। वाद का निर्णय दिनांक 30.1.1976 को किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 मंगलचंद तथा अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के पिता रामदेव के 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया। बाद में ना0क0सं0 78 दिनांक 28.10.1977 को स्वीकृत करके खातेदारी प्रार्थीया के दो भाई रामदेव व अप्रार्थी सं0 1 मंगलचंद के खातेदारी दर्ज की गई। प्रकरण में प्रार्थीया को वादीगण ने शामिल नहीं किया और साजिशी रूप से उक्त वाद फैशल करवा लिया जबकि प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार अपने पिता लादूराम के विरासती अधिकार के तहत 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/3 भूमि की खातेदार होने की हकदारी थी। प्रार्थीया वादग्रस्त भूमियों में स्व0 लादूराम जी के फुट स्टेप पर उनके 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड की जानकारी कभी नहीं रही। दिनांक 1.8.23 को वादिया अपने पीहर गई तो देखा कि ख0नं0 54 व 56 में अप्रार्थी सं0 9 बीरबल भूमि में तारबंदी करके नाजायज कब्जे करने की कोशिश कर रहा था तो अप्रार्थी सं0 1 ता 5 उसका विरोध कर रहे थे, प्रति0सं0 9 उनको धमका रहा था कि उसने जमीन रामवतार के वारिसों से क्रय की है, वह चाहे जो करे, उसका अधिकार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 1 से जानकारी चाही तो बताया कि रामदेव को बहला फुसलाकर भूमि रामवतार ने जरिये नुमाइशी विक्रय पत्र क्रय की थी, जिसके वारिसान अप्रार्थी सं0 6 ता 8 ने अब भूमि दिनांक 31.7.23 को अप्रार्थी सं0 9 को विक्रय कर दी है। इस पर प्रार्थीया द्वारा विक्रय पत्र व राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थीया के भाई अप्रार्थी सं0 1 व स्व0 रामदेव ने न्यायालय एसीएम सीकर में साजिशी रूप से दावा निर्णित करवाकर प्रार्थीया के हक को शून्य कर दिया। अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के पिता रामदेव ने जो विक्रय पत्र दिनांकित 24.09.1998 बहक रामवतार पंजीकृत करवाया वह प्रार्थीया के 1/3 हक व हिस्से तक शुन्य प्रभावहीन व निरस्त घोषित होने योग्य है। विक्रय पत्र के आधार पर ना0क0सं0 25 रामवतार के खातेदारी में दर्ज की गई वह भी प्रार्थीया के हक व अधिकार के विरूद्ध शून्य प्रभावहीन व निरस्त घोषित होने योग्य है तथा इसी तरह स्व0 रामदेव के वारिसान अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के नाम जो विरासत का ना0क0 खोला गया वह प्रार्थीया के हक व हिस्से तक शुन्य प्रभावहीन है। अब विक्रयपत्र दिनांकित 31.7.2023 बहक अप्रार्थी संख्या 9 बीरबल अप्रार्थी सं0 6 ता 8 ने पंजीकृत करवाया वह भी प्रार्थीया के हक व

सहायक कलक्टर(मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

अधिकार के विरूद्ध शून्य प्रभावहीन घोषित होने योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमियों में अपने पिता के फुट स्टेप पर कब्जा व अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 ता 8 आपस में साज किये हुए है तथा भूमियों को विकीत, अंतरित करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण अपने कुत्सित प्रयासों में सफल हो गये तो प्रार्थीया को असीम क्षति होगी, जिसकी तलाफी कदापी संभव नहीं होगी। प्रार्थीया ने आवेदन पत्र पेश अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु निवेदन किया है कि तादौराने वाद वादग्रस्त भूमि वर्णित प्रा0पत्र की मद सं0 2 व 3 को विकित, अंतरित ना करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 2,3,4 व 5 एंव 6,7,8,9 जरिये वकील उपस्थित आए । अप्रार्थी सं0 2,3,4 व 5 ने जवाब आवेदन पेश कर आवेदन पत्र की मद सं0 1 गलत होने से अस्वीकार है मद सं0 2 ता 5 सही होने से स्वीकार है। मद सं0 6 व 7 में समस्त कथन जिस प्रकार से तहरीर है, अस्वीकार है। मद सं0 8 व कानूनी है। जवाब पेश कर प्रार्थीया का प्रा0पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी सं0 6,7,8,9 ने जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदन की मद सं0 1 ता 3 स्वीकार है। मद सं0 4 ता 8 जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार हैं मद सं0 9 कानूनी है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीया ने आवेदन की मद सं0 2 व 3 में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 54, 55 कुल किता 2 कुल रकबा 5.62 है0 व ख0नं0 116, 119, 120, 85, 86, 87 कुल किता 6 कुल रकबा 4.59 है0 वाके ग्राम भोजा की ढाणी प0ह0श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की कृषि भूमि में अपने पिता लादूराम के विरासती अधिकार के तहत 1/2 हिस्सा की भूमि में से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने एंव अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अनुतोष प्राप्त करना चाहा है एंव ख0नं0 54 व 56 के पुराना ख0नं0 20 तथा वर्तमान ख0नं0 116, 119, 120 के पुराना ख0नं0 47 एंव ख0नं0 85,86,87 के पुराना ख0नं0 66 होने का मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड भी वाद के साथ पेश किया है, जिसमें ना0क0सं0 78 दिनांकित 28.10.1977 भी है। उक्त ना0क0सं0 78 से ही रामदेव, मंगलचंद पुत्रगण लादूराम का राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। उक्त ना0क0सं0 78 का अवलोकन किया जावे तो न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 30.01.1976 को लगभग 47 साल से भी अधिक समय से पूर्व पारित निर्णय एंव डिक्री है। उक्त निर्णय व डिक्री को सक्षम न्यायालय में ही अंदर मियाद चुनौति दी जा सकती है। परन्तु प्रार्थीया को जानकारी है कि वादग्रस्त भूमि न तो कभी प्रार्थीया के दादा रामप्रतापजी की खातेदारी में थी ना ही कभी प्रार्थीया के पिता लादूराम की खातेदारी में थी बल्कि इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में जगदीश, बद्री पुत्र हरनाथ अकेले का राजस्व कर्मचारियों की गलती से नाम दर्ज हो गया था जबकि 1/2 हिस्सा की भूमि रामदेव, मंगलचंद पुत्रगण लादूराम काबिज काश्तकार थे, जिनका जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में ही नाम दर्ज है, जो कि प्रार्थीया ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है, जिस कारण उसे वाद पत्र प्रस्तुत करने का लोकस्टेण्डाई ही नहीं है इसलिए आवेदन पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

तथा कब्जा के अभाव में उद्घोषणा का वाद पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीया ने अपने भाई अप्रार्थी सं0 1 व दूसरे मृतक भाई के वारिसान अप्रार्थी सं0 2 ता 5 से दुरभि संधी करके यह वाद पेश किया है एंव सद्भावी क्रेता को नुकसान पहुंचाने का कृत्य किया है, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 54, 56, 116, 119, 120, 85, 86, 87 में से मृतक रामदेव ने ख0नं0 54 व 56 में से ही 1/4 हिस्सा की 1.4050 है0 भूमि का बेचान किया था,उसके अलावा मृतक रामदेव के वारिसान के पास 4.59 है0 में से 1/4 हिस्सा की 1.1475 है0 भूमि उत्तराधिकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यदि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता लादूराम की खातेदारी में होती तो भी ख0नं0 54, 56 में से पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के विक्रय पत्र पर कोई विधिक असर नहीं होता, क्योंकि सिविल न्यायालय ने वर्ष 2021 में पारित निर्णय में उक्त संपूर्ण संपदा को मृतक रामदेव की स्वअर्जित होना मान्य किया है एंव मृतक रामदेव के वारिसान 2 ता 5 के पास 1.1475 है0 भूमि खातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थीया ने कुल 10.21 है0 भूमि में 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा की भूमि पर क्लेम किया है एंव उक्त 1/3 हिस्सा की भूमि में से 1/2 हिस्सा की 0.85 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से दर्ज में से चाही है एंव 0.85 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 2 ता 4 के पिता रामदेव के हिस्सा में से चाही है यदि प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से होती तो वह ख0नं0 54 व 56 में से रामदेव द्वारा विक्रय की गयी भूमि में क्लेम नहीं करती बल्कि रामदेव के वारिसान अप्रार्थी सं0 2 ता 5 की खातेदारी में दर्ज 1475 है0 भूमि में से 0.85 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की घोषणा का वाद पेश करती। यदि उक्त कृषि भूमि पैत्रिक होती तो भी मृतक रामदेव के वारिसान के पास बची शेष भूमि में से ही 0.85 है0 भूमि प्रार्थीया प्राप्त करने की हकदार होती। परन्तु प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 5 सभी ने आपस में अप्रार्थी सं0 6 ता 8 के विरूद्ध एक संगठित गिरोह बना रखा है, तो कि बार–बार भिन्न–भिन्न प्रकार के मुकदमें पेश करके अप्रार्थी सं0 6 ता 8 को नुकसान पहुंचाने का कुप्रयास करते है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है एंव वादग्रस्त कृषि भूमियों में मृतक रामदेव का 1/4 हिस्सा स्वअर्जित होने के कारण उसके द्वारा ख0नं0 54 व 56 में से विक्रय की गयी भूमि का अप्रार्थी सं0 6 का पति एंव अप्रार्थी सं0 7 व 8 का पिता रामोतार सदभावी क्रेता था, जिसने अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व प्रर्याप्त प्रतिफल राशि अदा करके भूमि क्रय की थी एंव कब्जा प्राप्त किया था इसलिए यह आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। बहस के दौरान अप्रार्थी सं0 6, 7, 8 व 9 द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2013(2) पेज सं0 828, आरआरटी 2010(2) पेज सं0 1210, आरआरटी 2023(1) पेज सं0 656 पेश की।

पत्रावली एंव पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है राजस्व ग्राम भोजा की ढाणी तहसील दांतारामगढ़,सीकर में प्रार्थना–पत्र की मद सं0 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के पूर्वज रामप्रताप जी के कब्जे अधिकार की रही है। वादग्रस्त भूमि मौके पर एंव राजस्व रिकार्ड में अविभाजित है। उक्त भूमियों की खातेदारी रामप्रताप के पुत्र हरनाथ के खातेदारी में दर्ज

Scanned with CamScanner

गई, लादूराम के दर्ज नहीं हुई, जबकि लादूराम के भी विरासत खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। इस संबंध में रामदेव व मंगलचंद द्वारा न्यायालय हाजा सीकर में मु0नं0 67/1975 बउनवानी रामदेव आदि बनाम जगदीश आदि किये जाने पर निर्णय दिनांक 30.1.1976 को किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 मंगलचंद तथा अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के पिता रामदेव के 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया। बाद में ना0क0सं0 78 दिनांक 28.10.1977 को स्वीकृत करके खातेदारी प्रार्थीया के दो भाई रामदेव व अप्रार्थी सं0 1 मंगलचंद के खातेदारी दर्ज की गई। प्रकरण में प्रार्थीया को वादीगण ने शामिल नहीं किया जबकि प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार अपने पिता लादूराम के विरासती अधिकार के तहत 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/3 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी थी। चूंकि प्रार्थीया वादग्रस्त भूमियों में स्व0 लादूराम जी के फुट स्टेप पर उनके 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है । इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में होना पाई जाती है इसलिए न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार करना उचित समझता है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner